न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 78/2019

अनवान :–

1. सुपारी पुत्री गणपत पत्नी पूर्णचंद जाति नायक निवासी भांगवा हाल सांगिआना त0 भादरा।
2. सिलोचना पुत्री गणपत पत्नी राजू जाति नायक निवासी भांगवा हाल ऐलनाबाद त0 व जिला सिरसा।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भादरा।
2. पुगी पुत्री रतनी पत्नी गणपत जाति नायक निवासी भांगवा त0 भादरा।
3. रामदेई पुत्री रतनी
4. कमला पत्नी भागसिंह
5. सुदेश पुत्र भागसिंह
6. उम्मेद पुत्र भागसिंह
7. सुन्दर पत्नी महेन्द्र
8. विनोद पुत्र महेन्द्र
9. राजू पुत्र महेन्द्र
10. विक्रम पुत्र महेन्द्र
11. पिपाल पुत्री महेन्द्र–फौत

वारिसान गणपत जाति नायक निवासी भांगवा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री किशनलाल यादव **वादीगण**
श्री दलबीर बैनीवाल, जगदीश महला प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः 30-01-23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गां0 भांगवा के खाता सं0 26/31 के खसरा सं0 81 की 3.085है0 खसरा सं0 154 की 2.668है0 खसरा सं0 155 की 1.353है0 खसरा सं0 159 की 2.491है0 खसरा सं0 257 की 2.314है0 खसरा सं0 260 की 2.213है0 खसरा सं0 385 की 0.784है0 खसरा सं0 704 की 2.516है0 कुल 17.424है0 वारानी खातेदारी में रतनी पत्नी गणपत, भागसिंह व महेन्द्रपाल पि0 गणपत तीनों बहिस्सा बराबर 275–3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण की माता रतनी के नाम 275–3/4 में से 1/3 हिस्सा अर्थात 91–11/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण की माता रतनी वादीगण के पास ही रहती थी। उन्होंने उसकी सेवा चकारी की, वृद्धावस्था में उसकी सार सम्भाल की। वादीगण की माता रतनी का पीर सकताखेड़ा तहसील डबवाली में था तथा मृत्यु के समय वादीगण उसे वही ले गये तथा उसका देहान्त हो गया। वही उसका अन्तिम संस्कार किया गया था।

वादीगण की माता रतनी वादीगण के पास ही रहती थी। तथा दोनों वादीगण की सेवा चाकरी आदि से खुश होकर अपनी मर्जी, सहमती, होश–हवास एवं स्वतंत्र इच्छा से गांव भांगवा में स्थित वादभूमि में स्थित अपने 1/3 हिस्से की वसीयत दोनों वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर रूबरू गवाहान कर दी थी तथा इस बाबत एक वसीयतनामा करवा भादरा में दिनांक 29.10.2015 को लिखवाकर वसीकानवीश रजिस्टर में दर्ज करवाकर उसे सुन समझकर अपने अंगुठा निशान रूबरू गवाहान किये थे तथा उक्त वसीयतनामा उसी दिन नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर स्थापित करवा दिया था।

वादीगण की माता का दिनांक 17.04.2016 को गांव सकताखेडा में अपने पीहर में ही देहान्त हो गया था। रतनी की मृत्यु के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीगण अपनी माता रतनी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा वाद भूमि की खातेदार काश्तकार हो गई। इस प्रकार वादीगण उक्त वसीयतनामा के आधार पर रतनी के नाम दर्ज वाद भूमि को अपने नाम बहिस्सा बराबर घोषणा करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ने जवाब प्रस्तुत किया । प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से जरिये वकील उपस्थिति दर्ज की गई व जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ता 6, 9 का जवाब बन्द किया गया। तथा प्रतिवादी सं0 7 व 10 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा पूर्व में पत्रावली में तनकी कायम की गई।

साक्ष्य वादी में वादीया सुपारी पुत्री रतनी के द्वारा साक्ष्य करवाये गये । जिसमें पत्रावली में पेश दस्तावेज पूर्व में प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये गये व अन्य द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जो सलग्न पत्रावली है।।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीगण की माता रतनी के नाम 275–3/4 में से 1/3 हिस्सा अर्थात 91–11/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण की माता रतनी वादीगण के पास ही रहती थी। उन्होंने उसकी सेवा चकारी की, वृद्वावस्था में उसकी सार सम्भाल की। वादीगण की माता रतनी का पीर सकताखेड़ा तहसील डबवाली में था तथा मृत्यु के समय वादीगण उसे वही ले गये तथा उसका देहान्त हो गया। वही उसका अन्तिम संस्कार किया गया था। वादीगण की माता रतनी वादीगण के पास ही रहती थी। तथा दोनों वादीगण की सेवा चाकरी आदि से खुश होकर अपनी मर्जी, सहमती, होश–हवास एवं स्वतंत्र इच्छा से गांव भांगवा में स्थित वादभूमि में स्थित अपने 1/3 हिस्से की वसीयत दोनों वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर रूबरू गवाहान कर दी थी तथा इस बाबत एक वसीयतनामा कस्बा भादरा में दिनांक 29.10.2015 को लिखवाकर वसीकानवीश रजिस्टर में दर्ज करवाकर उसे सुन समझकर अपने अंगुठा निशान रूबरू गवाहान किये थे तथा उक्त वसीयतनामा उसी दिन नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर स्थापित करवा दिया था। वादीगण की माता का दिनांक 17.04.2016 को गांव सकताखेडा में अपने पीहर में ही देहान्त हो गया था। रतनी की मृत्यु के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीगण अपनी माता रतनी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा वाद भूमि की खातेदार काश्तकार हो गई। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने कथन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण का भी हक हिस्सा निहित है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली सुपारी आदि स्टेट में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.08.2018 को वाद वादी साबित नहीं होने कारण खारिज किया गया। जिसके अनुसरण में माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 11.04.2019 पारित करते हुए न्यायालय को इस आदेश के साथ पत्रावली प्रेषित की गई कि वादीगण रतनी के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाते हुए विधिवत तरिके से निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में वादीगण द्वारा रतनी पत्नी गणपत के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया। पूर्व में भी पत्रावली में हर आम हर खास को सूचना हेतु वादीगण द्वारा अखबार साया करवाया गया जिसकी प्रति सलंग्न पत्रावली है। पत्रावली में तनकी कायम की गई थी, जिसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत एक महिला अपनी सम्पति के उपयोग–उपभोग के लिए स्वंतत्र है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वसीयतनामा पर किसी भी प्रकार का खण्डन अर्थात वसीयतनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई है। अतः वाद वादीगण मुताविक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता हैं।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गां0 भांगवा के खाता सं0 26/31 के खसरा सं0 81 की 3.085है0 खसरा सं0 154 की 2.668है0 खसरा सं0 155 की 1.353है0 खसरा सं0 159 की 2.491है0 खसरा सं0 257 की 2. 314है0 खसरा सं0 260 की 2.213है0 खसरा सं0 385 की 0.784है0 खसरा सं0 704 की 2.516है0 कुल 17.424है0 बारानी खातेदारी में दर्ज रतनी पत्नी गणपत के 91–11/12 हिस्सा से रतनी पत्नी गणपत का नाम कलमजन किया उसके हिस्से में वादीया सं0 1 सुपारी पुत्री गणपत व वादीया सं0 2 सिलोचना पुत्री गणपत को बहिस्सा बराबर के अनुसार खोतदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 191/2022

अनवान : –

1. सुपारी पुत्री गणपत पत्नी पूर्णचंद जाति नायक निवासी भांगवा हाल सानिआना त0 भादरा।
2. सिलोचना पुत्री गणपत पत्नी राजू जाति नायक निवासी भांगवा हाल ऐलनाबाद त0 व जिला सिरसा।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भादरा।
2. पुगी पुत्री रतनी पत्नी गणपत जाति नायक निवासी भांगवा त0 भादरा।
3. रामदेई पुत्री रतनी
4. कमला पत्नी भागसिंह
5. सुदेश पुत्र भागसिंह
6. उम्मेद पुत्र भागसिंह
7. सुन्दर पत्नी महेन्द्र
8. विनोद पुत्र महेन्द्र
9. राजू पुत्र महेन्द्र
10. विक्रम पुत्र महेन्द्र
11. पिपाल पुत्री महेन्द्र–फौत

वारिसान गणपत जाति नायक निवासी भांगवा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव व वकील प्रतिवादीगण श्री दलबीर बैनीवाल व जगदीश महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गां0 भांगवा के खाता सं0 26/31 के खसरा सं0 81 की 3.085है0 खसरा सं0 154 की 2.668है0 खसरा सं0 155 की 1.353है0 खसरा सं0 159 की 2.491है0 खसरा सं0 257 की 2.314है0 खसरा सं0 260 की 2.213है0 खसरा सं0 385 की 0.784है0 खसरा सं0 704 की 2.516है0 कुल 17.424है0 वारानी खातेदारी में दर्ज रतनी पत्नी गणपत के 91–11/12 हिस्सा से रतनी पत्नी गणपत का नाम कलमजन किया उसके हिस्से में वादीया सं0 1 सुपारी पुत्री गणपत व वादीया सं0 2 सिलोचना पुत्री गणपत को बहिस्सा बराबर के अनुसार खोतदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राज.) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़